चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/2830
दिनांक : 06.07.2020

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषयः— कोविड—19 से बचाव हेतु प्रदेश के कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन के संलग्न पत्र संख्या—1388/सत्तर—3—2020—08(32)/2020 दिनांक 03 जून, 2020 सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि कोविड—19 के बचाव हेतु प्रदेश के कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र एवं मा० कुलपति जी के आदेशानुसार आप सभी अपने—अपने महाविद्यालय/संस्थानों में शासन के पत्रानुसार कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
07.07.2020
कुलसचिव

प्रतिलिपिः—
01. सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रति—कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
03. विश्वविद्यालय, प्रेस प्रवक्ता।
04. प्रभारी, वेबसाइट

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

संख्या–1388 / सत्तर–3–2020–08(32) / 2020

प्रेषक,

योगेन्द दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2– **कुलसचिव,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनाँक 03 जुलाई, 2020**

विषयः–कोविड–19 से बचाव हेतु प्रदेश के कार्यालयों में कोविद हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा अनुभाग–5 के पत्र सं0–1317 / पांच–5–2020, दिनांक 22 जून, 2020 तथा पत्र सं0–1394 / पांच–5–2020, दिनांक 30 जून, 2020(छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना एवं कियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिये गये है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के संलग्न पत्र दिनांक 22.06.2020 में दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यलयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना एवं कियान्वयन के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3– इस हेतु निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक स्तर के किसी अधिकारी को नामित करने का कष्ट करें। नोडल अधिकारी द्वारा समस्त राज्य विश्वविद्यालय से सूचना एकत्रित करते हुए लिंक https://tinyurl.com/y9no5cym पर अपलोड करते हुए कृत कार्यवाही से उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के ई–मेल आई0डी0–hesection.3@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

(योगेन्द दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या–1388 (1) / सत्तर–3–2020, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाटी)
विशेष सचिव।

संख्या–1317/पांच–5–2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ; दिनॉक: 22 जून 2020

विषय–कोविड–19 से बचाव हेतु प्रदेश के सभी विभागों के समस्त स्तरों के कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि कोविड–19 पर नियंत्रण के लिए बचाव एवं रोकथाम की सटीक जानकारी एवं सरकार द्वारा इस हेतु उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की सूचना प्रत्येक स्तर पर पहुँचाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसी कम में, प्रदेश सरकार द्वारा सभी विभागों के समस्त स्तरों (महानिदेशालय/निदेशालय/मण्डल एवं जनपदस्तरीय कार्यालय/ब्लाक स्तरीय कार्यालय) के कार्यालयों/सम्बद्ध या सहयोगी संस्थाओं के कार्यालयों में जहां अधिक संख्या में नागरिक नियमित सेवाओं के लिए आते हैं, कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2– तत्कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना एवं कियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

1. प्रदेश सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों एवं उससे सम्बद्ध संस्थाओं के प्रत्येक स्तर के ऐसे कार्यालयों में, जहां काफी संख्या में कर्मचारियों एवं जनता का आना–जाना होता हो, कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा तथा कोविड हेल्प डेस्क पर संलग्न पोस्टर (संलग्नक–1 एवं 2) लगाया जाएगा।
2. कोविड हेल्प डेस्क पर एक कर्मचारी की रोस्टर के आधार पर दो सप्ताह के लिए तैनाती की जाएगी। दो सप्ताह की अवधि पूर्ण होने पर दूसरे कर्मचारी को तैनात किया जाएगा। हेल्प डेस्क पर तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों को कोविड–19 के लिए अपेक्षित सामान्य जानकारी (संलग्नक–3) से भिज्ञ किया जाएगा।
3. कोविड हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी के द्वारा नियमित रूप से मॉस्क एवं ग्लब्स पहना जाएगा तथा आगंतुकों से सम्पर्क करते समय न्यूनतम 2 गज की दूरी बनाए रखने की व्यवस्था की जाएगी।
4. कोविड हेल्प डेस्क पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर एवं पल्स आक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाएगा। लक्षणात्मक लोगों के ऑक्सीजन सेचुरेशन की जांच पल्स ऑक्सीमीटर से की जाएगी। इस हेतु संबंधित कर्मी को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी रीडिंग 94 प्रतिशत से कम आने पर प्रकरण मुख्य चिकित्साधिकारी/निकटस्थ सी0एच0सी/जिला चिकित्सालय को सन्दर्भित किया जाएगा। प्रत्येक प्रयोग के पश्चात पल्स आक्सीमीटर को [illegible] से विसंक्रमित किया जाएगा।

5. कोविड हेल्प डेस्क के द्वारा सभी कर्मचारियों को आरोग्य–सेतु एप डाउनलोड करने एवं इसका सक्रिय उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
6. कार्यालयाध्यक्ष एवं कोविड हेल्प डेस्क के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय परिक्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों को प्रयोग न किया जाए।
7. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि कोई कर्मचारी खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश से पीड़ित है तो ऐसा कर्मचारी ड्यूटी पर न आए।
8. कोविड हेल्प डेस्क के द्वारा स्क्रीनिंग के दौरान चिन्हित खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश से पीड़ित व्यक्तियों की सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग के राज्य टोल फ्री नम्बर **1800–180–5145** या जनपदीय नियंत्रण कक्ष को दिया जाएगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
22.6.20
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या–1317(1)/पांच–5–2020, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
22.6.20
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

1548
22/06/2020
22/6/2020

संलग्नक-1

कोरोना

जंग अभी जारी है

लापरवाही से संक्रमण फैल सकता है

स्वस्थ व्यवहार अपनायें जीवन सुरक्षित बनायें

- भीड़ में जाने पर दो गज की दूरी बनाये रखें।
- बार-बार हाथ साबुन-पानी से धोयें।
- सार्वजनिक स्थल पर मुँह व नाक को ढ़के।
- लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

कोरोना संबंधी जानकारी हेतु संपर्क करें

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

1800-180-5145

अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें

नोवल कोरोना को ना

संलग्नक – 2

कोविड हेल्प डेस्क

दो गज़ की दूरी, मास्क है जरूरी

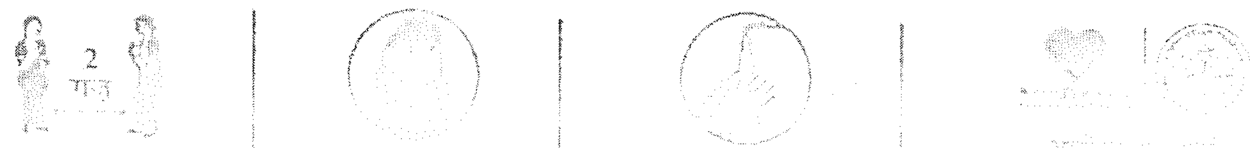

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें | मास्क लगाएं | से हाथ धोएं | का प्रयोग करें

कोविड संबंधी जानकारी हेतु संपर्क करें

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ.प्र. **1800-180-5145**

कंट्रोल रूम जिलाधिकारी कार्यालय : 0000000000
कंट्रोल रूम मुख्य चिकित्सा अधिकारी : 0000000000
जिला सर्विलांस अधिकारी : 0000000000

संलग्नक–3

कोविड हेल्प डेस्क हेतु सामान्य जानकारी

1. कोविड हेल्प डेस्क में तैनात कर्मचारी को सदैव मॉस्क पहनना चाहिए तथा अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों से दो गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए।
2. हेल्प डेस्क में तैनात कर्मचारी के द्वारा कार्यालय में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के हाथों को सैनीटाइज कराया जाएगा।
3. खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश आदि से पीड़ित व्यक्ति कोविड के संदिग्ध रोगी हो सकते हैं। अन्य उच्च कोविड संक्रमित राज्यों से आए व्यक्ति भी संदिग्ध रोगी हो सकते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों की सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नम्बर **1800—180—5145** पर दिया जाएगा।
4. कोरोना संकमित व्यक्ति के खांसने, छींकने अथवा संकमित व्यक्ति के शारीरिक सम्पर्क, संक्रमित वस्तुओं को छूने या भीड़ में रहने से कोरोना का संकमण प्रसारित हो सकता है। अतः इससे बचने के लिए मॉस्क पहनना चाहिए तथा अन्य व्यक्तियों से दो गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए। हाथों को बार—बार साबुन पानी से कम से कम 30 सेकेण्ड तक धोना चाहिए। भीड़—भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचना चाहिए।
5. हेल्प डेस्क में तैनात कर्मचारी के द्वारा सभी कर्मचारियों/आगंतुकों को आरोग्य–सेतु एप डाउनलोड करने एवं इसका सकिय उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
6. हेल्प डेस्क में तैनात कर्मचारी के द्वारा कार्यालय परिक्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को रोकने हेतु सार्थक प्रयास किया जाएगा।
7. कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त सावधानियाँ अपनाते हुए कोरोना से बचा जा सकता है।

संख्या – मु०स०-36 / सत्तर-3-2020

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्या–1394 / पांच–5–2020
लखनऊः दिनांक 01 जुलाई, 2020

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
गृह विभाग / कृषि विभाग / राजस्व विभाग /
नगर विकास विभाग / पंचायती राज विभाग /
ग्राम्य विकास विभाग / औद्योगिक विकास विभाग /
शिक्षा विभाग / लोक निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग,
उ0प्र0 शासन।

कोविड–19 पर नियंत्रण के लिए बचाव एवं रोकथाम की सटीक जानकारी एवं सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की सूचना प्रत्येक स्तर पर पहुँचाए जाने के उद्देश्य से सभी विभागों के समस्त स्तरों (महानिदेशालय / मण्डल एवं जनपद स्तरीय कार्यालय / ब्लाक स्तरीय कार्यालय) के कार्यालयों / सम्बद्ध या सहायता संस्थाओं के कार्यालयों में जहाँ अधिक संख्या में नागरिक नियमित सेवाओं के लिए आते हैं, कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1317 / पांच–5–2020 दिनांक 22 जून, 2020 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

(क) अप्राप्त

2– उक्त के कम में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना एवं उसकी कियाशीलता के संबंध में कृत कार्यवाही की अद्यतन आख्या ईमेल आई०डी० secupmhfw@gmail.com पर उपलब्ध कराने हेतु पत्र संख्या–1340 / पांच–5–2020 दिनांक 26 जून, 2020 द्वारा अनुरोध किया गया था किन्तु आपके विभाग द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

3– कृपया इस संबंध में अपने विभाग में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना एवं उसकी कियाशीलता के संबंध में कृत कार्यवाही की अद्यतन आख्या लिंक **https://tinyurl.com/y9no5cym** पर प्रतिदिन अपलोड कराने का कष्ट करें।

1.7.20

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या–1394 (1) / पांच–5–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक संचारी रोग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

01.07.2020

p.U.D.com 3

Other Department Help Desk Daily Reporting Status

S.N.	Department Name	District	Reporting Date	Total Help Desk Established	No. of Pulse Oximeter available	No. of Thermometers available	No. of Symptomatic Patients Found